संख्या-19/2023/807/तीस-4-2023-30-4099(099)/63/2023

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांकः 08 जून, 2023

विषय: सरकारी विभागों की 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी प्रक्रिया के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि "सरकारी गाड़ियों को निष्प्रयोज्य घोषित करने का मापदण्ड" विषयक शासनादेश संख्या-1288(।।)/30-4-2002-24केएम/76, दिनांक 11.06.2002 तथा "सरकारी विभागों की निष्प्रयोज्य गाड़ियों की नीलामी" विषयक शासनादेश संख्या-1914/30-4-2002-38/90, दिनांक 05.08.2002 अद्यतन प्रभावी है, जिसके अन्तर्गत वर्तमान में सरकारी विभागों की 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी की कार्यवाही भी गतिमान है।

2- सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'व्हीकल स्क्रेपिंग पॉलिसी' लागू की गयी है, जिसका उद्देश्य प्रदूषण में कमी, सड़क, यात्रियों व यानों की सुरक्षा में सुधार ईधन क्षमता में सुधार, वाहन स्वामियों हेतु अनुरक्षण लागत में कमी आदि लाने के लिए एक पारिस्थितिकी-तन्त्र उत्पन्न करना है। उक्त के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 2023 से 15 वर्ष पुरानी सरकारी वाहनों के पंजीयन का पुनर्नवीनीकरण प्रतिबन्धित करते हुए उन्हें स्क्रैप किये जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे वाहनों के निर्बाध स्क्रैपिंग हेतु सुविधा प्रदान किये जाने के दृष्टिगत सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-आरटी-23013/8/2022-टी, दिनांक 17.12.2022 द्वारा एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निष्प्रयोज्य सरकारी वाहनों के नीलामी हेतु प्राविधान दिया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.12.2022 के संलग्नक-1 में सरकारी विभागों की 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था निम्नवत् है :-

संलग्नक-1

Proposed mechanism for e-auction of Government-owned vehicles through MSTC Portal

Union/State Government to use portal developed by Metal Scrap Trading Corporation (MSTC) for e-auction of condemned vehicles to RVSF. In order to expedite the scrapping of condemned vehicles, Union/State Governments may directly engage with MSTC to conduct e-auction. The detailed procedure for e-auction of vehicles through this portal is provided below:

1. Union Ministries/Departments and State Governments to share details of

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

condemned vehicles (including vehicle type, model, vintage, image, etc.) with MSTC.

2. Union Ministries/Departments and State Governments to conduct valuation of vehicles through valuers appointed by them or empaneled by MSTC and finalize the reserve price and tolerance %
3. Union Ministries/Departments and State Governments or MSTC to enter reserve price and associated tolerance % into MSTC portal before the launch of e-auction.
4. MSTC to form e-auction lots based on vehicle details, location of vehicles etc. and develop an e-auction catalog. Auction notification containing details of e-auction starting date, list of vehicles, location, ownership etc. will be sent to RVSFs. Such scrapping is to be done in accordance with the procedure as prescribed in Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules 2021.
5. e-Auction is then launched on MSTC portal.
6. Prospective bidders would be allowed to conduct on-site inspection of vehicles to assess fair value of the e-auction lot. High quality images may be included in auction catalog to reduce the requirement of physical inspection since the RVSFs may not have enough capacity to conduct physical inspection over a short period of time.
7. Interested bidders to deposit a pre-bid earnest money deposit (EMD) or Standing Security Deposit, as prescribed by MSTC, to become eligible for bidding. After depositing EMD or Standing Security deposit, bidders to submit their bid on MSTC portal.
8. e-Auction is to be closed at a pre-determined time. An e-auction is deemed successful if the highest bid value is more than the reserve price or within the tolerance threshold and is cancelled if the highest bid is lower than the tolerance of reserve price set by the seller. If an e-auction is cancelled for the first time, then the Competent Authority may put up the lot for re-auction after adjusting the reserve price based on market response. However, if the auction is cancelled again then the lot could be awarded to MSTC at the reserve price, this would be at the discretion of the Competent Authority.
9. Auto-generated notification is sent to the highest bidder and the seller.
10. Highest bidder (RVSF) would then transfer the bid amount to MSTC via RTGS/NEFT/Net Banking etc. as per e-auction catalog. MSTC to issue a digitally signed Delivery/Sale Order upon confirmation of payment.
11. Highest bidder (RVSF) to pick up the vehicles for scrapping and hand over a 'Certificate of Deposit' to MSTC through the Vahan RVSF module as per the process specified in rule 10 sub-rule 1 of GSR 653 (E) dated 23rd September 2021 and its amendment vide GSR 695 (E) dated 13th September 2022.
12. De-registration of vehicles to be done by RVSF as per the process specified in rule 10 sub- rule 1 of GSR 653 (E) dated 23 September 2021 and its amendment vide GSR 695 (E) dated 13th September 2022.
13. MSTC to transfer bid amount to Union Ministries/ Departments and State Govemments along with the 'Certificate of Deposit'.

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.12.2022 में विहित उपरोक्त प्राविधानों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अनुसार एमएसटीसी के माध्यम से 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निष्प्रयोज्य सरकारी वाहनों की नीलामी की कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त 15 वर्ष से कम आयु पूर्ण करने वाले सरकारी वाहनों की नीलामी के सम्बन्ध में पूर्वोक्त "सरकारी गाड़ियों को निष्प्रयोज्य घोषित करने का मापदण्ड" विषयक शासनादेश संख्या-1288(।।)/30-4-2002-24केएम/76, दिनांक 11.06.2002 तथा "सरकारी विभागों की निष्प्रयोज्य गाड़ियों की नीलामी" विषयक शासनादेश संख्या-1914/30-4-2002-38/90, दिनांक 05.08.2002 के प्राविधान यथावत् प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
प्रमुख सचिव

संख्या-19/2023/ 807(1)/तीस-4-2023-30-4099(099)/63/2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सचिव, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य प्रबन्धक, मेटल स्क्रैप ट्रेड कार्पोरेशन (MSTC), भू-तल, सीडब्ल्यूसी क्षेत्रीय कार्यालय परिसर, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
8. समस्त संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश(द्वारा परिवहन आयुक्त कार्यालय)।
9. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम (द्वारा प्रबन्ध निदेशक कार्यालय)।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग/संबंधित विभाग।
11. विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
12. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3/7
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लुटावन राम)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।